अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती अनोप देवी पत्नी स्व॰ श्री नाथूलाल निवासी–मकान नम्बर य–386, महावीर नगर, सांगानेर जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक

2 श्रीमती सोनू देवी पत्नी श्री देवीदास निवासी–मकान नम्बर य–386, महावीर नगर, सांगानेर

3 देवी दास पुत्र स्व॰ श्री नाथू लाल मकान नम्बर य–386, महावीर नगर, सांगानेर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.10.2022 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयुपर द्वितीय के प्रकरण संख्या 22/2022 ब–उनवानी श्रीमती अनोप देवी बनाम श्रीमती सोनू देवी व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 07.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयुपर द्वितीय के प्रकरण संख्या 22/2022 ब–उनवानी श्रीमती अनोप देवी बनाम श्रीमती सोनू देवी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 मय प्रतिनिध के उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया 74 वर्षीय बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक महिला है तथा सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर जीवन यापन कर रही है तथा धार्मिक प्रवृति की महिला है एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थिया की पुत्रवधु है जो कि अपीलार्थिया के कहने में नहीं है तथा अपीलार्थिया के साथ मारपीट, गाली गलौच व अभद्र व्यवहार करती रहती है। जिस कारण अपीलार्थिया की जान को खतरा बना रहता है। विभिन्न प्रकार के झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती रहती है । प्रत्यर्थी संख्या 3 अपनी माता के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रति प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रताड़ित किये जाने के बावजूद मौन रहता है। अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता । प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया को वृद्धावस्था में शारीरिक व मानसिक यातनायें देने से पीड़ित हो कर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) (क) (ख) के तहत परिवाद पेश कर अपीलार्थिया के कय शुदा मकान से प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 को बेदखल करने तथा शान्तिपूर्वक रहने देने के लिए पाबन्द करने के लिए पेश किया था। जिसमें अपीलार्थिया के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया और अन्य चाहे गये अनुतोष प्रत्यर्थीगण की बेदखली के आदेश के बजाय प्रत्यर्थीगण को एक कमरा, किचन व लैटबाथ रहवास के लिए दे दिया । अपीलार्थिया 75 वर्षीय वृद्व एवं बीमार महिला है पैर की एक जांघ में रोड लगी हुई है जिससे चलने फिरने में परेशानी होने एवं मियाद अवधि की जानकारी नहीं होने से समय पर अपील पेश नही कर सकी अत : विलम्ब अवधि का कन्डोन किया जावे तथा अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थिया के कय शुदा मकान से प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को बेदखल करने के आदेश फरमावें ताकि अपीलार्थिया वृद्वावस्था में सकून से रह सके।

5. प्रत्यर्थी 2 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा कभी भी अपीलार्थिया के साथ गाली गलौच, मारपीट एवं अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है प्रत्यर्थी संख्या 2 उक्त घर में अपीलार्थिया के पुत्र देवीदास के साथ हिन्दू रिति रिवाज से दिनांक 26.01.2004 को सामुदायिक केन्द्र जयपुर पर विवाह सम्पन्न होने के बाद आयी है जबरदस्ती उक्त मकान मे नहीं रह रही है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास एक कमरा, कीचन व लैट बाथ ही है शेष अपीलार्थिया व उसके छोटे बेटे के पास है। अपीलार्थिया व उसके घरवालों का यही मकसद है कि वह येनकेन प्रकारेण प्रत्यर्थी संख्या 2 को घर से निकाल दे । इसी आशय से अपीलार्थिया द्वारा यह अपील पेश की गई है जो कि किसी कदर भी चलने योग्य नहीं है तथा अपील सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उसके प्रतिनिधि ने दलील पेश की कि प्रत्यर्थी संख्या 3 गत 1–2 महीनों से प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा महिला थाना पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्व झूठी रिपोर्ट देने व अन्य मुकदमों में प्रत्यर्थी संख्या 3 व उसके घरवालो को फंसाने की धमकियों के चलते अन्यत्र निवास कर रहा है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थिया के उक्त मकान में जबरन निवास कर रही है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

8. सर्व प्रथम अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थिया द्वारा अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

9. अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर कर अपीलार्थिया के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर य–386, महावीर नगर, सांगानेर से प्रत्यर्थी 2 व 3 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। विवादित सम्पत्ति अपीलार्थिया के स्वामित्व की है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के जीवन एव उनके हितों की सुरक्षा करना का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दायित्व अधिकरण का है। माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकानसे बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

10. अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को अपीलार्थिया के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर य–386, महावीर नगर, सांगानेर से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को अपीलार्थी से गाली गलौच व मारपीट नहीं करने हेतु पावन्द किया जाता है।

11. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner